इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2020—चैत्र 8, शक 1942

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

क्र. 237-67-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 1 सन् 2020

### मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020

[ ''मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )'' में दिनांक २८ मार्च, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ] भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः, राज्य के विधान—मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरना कार्रवाई करें,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:--

- 1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
  - (2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. इस अध्यादेश के प्रर्वतन की कालाविध के दौरान मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 18 एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 ( कमांक सन 2005 का अस्थाई रूप से 18 सन 2005 ) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों संशोधित किया जाना के अध्याधीन प्रभावी होगा।
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्
  धारा 9 का संशोधन.
  2005) में, धारा 9 में, उपधारा (3) के पश्चात्,
  निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

- "(4) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार रूपए 4443.00 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किसी सीमा या लक्ष्य के विरूद्ध संगणित नहीं किया जाएगा।"।
- 4. इस अध्यादेश के प्रर्वतन की कालाविध के दौरान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 केन्द्रीय अधिनियम कमांक दो सन (1899 का दो) धारा 5 में विनिर्दिष्ट संशोधनों 1899 का अस्थाई रूप से संशोधित के अध्याधीन प्रभावी होगा।
- 5. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को, मध्यप्रदेश राज्य को लागू इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित हुए रूप में केन्द्रीय किया जाए:— अधिनियम, 1899 का संख्यांक 2 की अनुसूची 1—क का संशोधन.

अनुसची 1—क में,— (1) अनुच्छेद ६ में, खण्ड (छ ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- "(छ ख) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अंतर्विष्ट हो और जो कोई विकास अथवा निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बंध पत्र न हो—
  - (एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख पांच सौ रूपए रूपए तक है
  - (दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख पांच लाख रूपए की रूपए से अधिक है अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का 0.1 प्रतिशत"।

- (2) अनुच्छेद 38 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
  - "(ख) किसी भी कालावधि का खनन पहा, जिसके अंतर्गत अवर-पहा या उप-पहा तथा पहे या उप-पहे पर देने या किसी पहे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है -
    - (एक) मुख्य खनिज के मामले में
    - (दो) गौण खनिज के मामले में

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 2 प्रतिशत। ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 1.25 प्रतिशत।"।

भोपाल तारीख 27 मार्च, 2020 लाल जी टंडन राज्यपाल मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

क्र. 237-67-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

#### MADHYA PRADESH ORDINANCE

#### NO. 1 OF 2020

#### THE MADHYA PRADESH FINANCE ORDINANCE, 2020

[ First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28 March, 2020. ]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005, and Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

# Short title and commencement.

- (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Finance Ordinance, 2020.
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

## Madhya Pradesh Act No. 18 of 2005 to be temporarily amended.

 During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

# Amendment of section 9.

- In the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in section 9, after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-
  - "(4) Notwithstanding any limit or target contained in sub-section (2), the State Government may receive an additional loan of Rupees 4,443.00 crore during the financial year ending 31st March 2020, which shall not be reckoned against any limit or target contained in sub-section (2). ".

Central Act No. II of 1899 to be temporarily amended.

 During the period of operation of this Ordinance, the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall have effect subject to the amendment specified in sections 5.

Amendment of Schedule I-A to the Central Act II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

5. The Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided:-

In Schedule I-A,-(1) in article 6, for clause (gb), the following clause shall be substituted, namely:-

- "(gb) Work contract, not being a development or construction agreement or a Security Bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability-
- (i) If contract value is upto five hundred rupees fifty lakh rupees
- (ii) If contract value exceeds 0.1 percent of contract value subject to a maximum of five lakh rupees."
  - (2) in article 38, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(b) Mining Lease, of any term including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease-
  - (i) in case of major mineral 2% for the whole amount payable or deliverable under

such lease.

(ii) in case of minor mineral

1.25% for the whole amount payable or deliverable under

such lease.".

BHOPAL: DATED, THE 27th MARCH, 2020.

LAL JI TANDON Governor Madhya Pradesh.